निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 847) पटना, सोमवार, 27 जुलाई 2015

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 32/2013 –243 नि०गो०
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संकल्प
30 जून 2015

विषयः–डा0 राकेश कुमार पंजियार, तत्कालीन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, फतुहा सम्प्रति निलम्बित को सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने के संबंध में।

डा0 राकेश कुमार पंजियार, तत्कालीन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, फतुहा, पटना, बिहार पशुपालन सेवा, वर्ग–2 (मूल स्तर), वरीयता क्रमांक–2399, जन्म तिथि 24.08.1965, नियुक्ति तिथि 05.05.1995 एवं सेवा निवृति तिथि 31.08.2025 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक 23.11.2006 को 2500/ (दो हजार पाँच सौ) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया एवं डा0 पंजियार के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–082/2006 दिनांक 23.11.2006 दर्ज किया गया तथा दिनांक 23.11.2006 को ही डा0 पंजियार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

2. निगरानी थाना कांड संख्या–082/2006 में डा0 पंजियार को नामित अभियुक्त बनाया गया, उक्त आलोक में विभागीय आदेश–44 नि0गो0 दिनांक 18.01.2007 के द्वारा डा0 पंजियार को हिरासत अवधि के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) के अन्तर्गत निलम्बित किया गया। दिनांक 17.10.2007 को जमानत पर रिहा होने के पश्चात् डा0 पंजियार द्वारा दिनांक 18.10.2007 को प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, फतुहा के पद पर योगदान किया गया। उक्त आलोक में विभागीय आदेश–334 नि0गो0 दिनांक 26.12.2007 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम (3) (i) उपनियम (2) के तहत डा0 पंजियार द्वारा योगदान देने की तिथि 18.10.2007 से निलंबन मुक्त मानते हुए योगदान स्वीकार किया गया।

3. चूँकि डा0 पंजियार के विरूद्ध अपराधिक मामला /जाँच विचाराधीन था अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (ग) के अन्तर्गत विचारोपरांत विभागीय आदेश–333 नि0गो0 दिनांक 26.12.2007 के द्वारा डा0 पंजियार को तत्काल प्रभाव से पुनः निलम्बित किया गया एवं विभागीय आदेश–76 नि0गो0 दिनांक

14.03.2008 के द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र'क') में गठित आरोपों के आलोक में डा0 पंजियार से लिखित स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु डा0 पंजियार के द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 07.04.2008 के माध्यम से कतिपय कागजातों की माँग की गयी। उक्त आलोक में आरोप समर्थित साक्ष्य के रूप में वांछित कागजातों को विभागीय पत्रांक–138 नि0गो0 दिनांक 30.06.2009 के द्वारा डा0 पंजियार को उपलब्ध करा दिया गया। तत्पश्चात् डा0 पंजियार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिकासी0डब्लू0जे0सी0सं0–13355/09 दायर किया गया।

4. उक्त वाद/मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 14.10.2009 को न्याय निर्णय पारित किया गया। उक्त न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश–150 नि0गो0 दिनांक 05.03.2010 द्वारा डा0 पंजियार को विभागीय कार्यवाही के अधीन रखते हुए निलम्बन से मुक्त किया गया परन्तु डा0 पंजियार द्वारा विभागीय पत्रांक–76 नि0गो0 दिनांक 14.03.2008 के आलोक में कोई समुचित बचाव–बयान समर्पित नहीं किया गया अतएव सरकार द्वारा विचारोपरान्त डा0 पंजियार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विभागीय संकल्प–48 नि0गो0 दिनांक 24.01.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा विभागीय कार्यवाही संचालित होने के कारण सम्यक विचारोपरांत विभागीय आदेश–141 नि0गो0 दिनांक 05.03.2014 के द्वारा डा0 पंजियार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 2005 के नियम 9 (1) 'क' के तहत तत्काल प्रभाव से पुनः निलम्बित किया गया।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उप–सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी द्वारा दिनांक 10.03.2014 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें डा0 पंजियार के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

7. विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित पाये गये आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–163 नि0गो0 दिनांक 14.03.2014 के द्वारा डा0 पंजियार से द्वितीय लिखित अभिकथन की अपेक्षा की गयी।

8. उक्त आलोक में डा0 पंजियार द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 31.03.2014 के माध्यम से अभिकथन समर्पित करने हेतु अतिरिक्त साक्ष्यों तथा गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण की माँग की गयी।

9. डा0 पंजियार द्वारा समर्पित उक्त अभ्यावेदन के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय आदेश–210 नि0गो0 दिनांक 04.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही को विचलित एवं विलंबित करने का प्रयास मानते हुए डा0 पंजियार के अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दी गयी।

10. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में डा0 पंजियार द्वारा रिश्वत लिये जाने के फलस्वरूप निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के कारण सरकार द्वारा डा0 राकेश कुमार पंजियार, तत्कालीन प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, फतुहा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम14 (xi) के तहत बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

11. सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में डा0 पंजियार के बर्खास्तगी संबंधी दण्ड के प्रस्ताव में विभागीय पत्रांक–306 नि0गो0 दिनांक 16.05.2014 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–767 दिनांक 30.06.2014 द्वारा बर्खास्तगी संबंधी दण्ड के प्रस्ताव में सहमति व्यक्त की गयी है।

12. उक्त आलोक में डा0 राकेश कुमार पंजियार, तत्कालीन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, फतुहा सम्प्रति निलम्बित को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है एवं विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

13. इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से डा0 पंजियार का इस विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा तथा निलंबन अवधि में प्राप्त जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

14. उक्त निर्णय संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 847-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in